दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 04 अगस्त 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 307

महत्वपूर्ण एवं खास

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल में छुट्टी घोषित

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड में बारिश रूकने का नाम नही ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर मौसम विभाग ने कई जनपदो में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसको देखते हुए चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल के सभी शैक्षिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी/अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंपावत हेमन्त कुमार वर्मा ने जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। इतना ही नहीं बागेश्वर जनपद में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए छात्र छात्राओं व नौनिहालो की सुरक्षा को देखते हुए अनुराधा पाल, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। नैनीताल में भी भारी बारिश के चलते ज़िले के सभी स्कूलों को बंद रखने का जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज जनपद नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गई हैं।

बेंगलुरू में पानी की टंकी ढहने से दो की मौत

बेंगलुरु (आरएनएस)। बेंगलुरु में एक इमारत की चौथी मंजिल से पानी की टंकी गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना बीती देर रात शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। दोनों मृतकों में से एक की पहचान 40 वर्षीय अरुल के रूप में की गई है, जबकि दूसरे का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, अरुल इमारत के पास फास्ट-फूड की गाड़ी चलाता था। जिस दीवार पर पानी की टंकी रखी गई थी, वह कमजोर हो गई थी। टंकी के साथ ही इमारत की दीवार का एक हिस्सा भी ढह गया। दो घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईस्ट डिवीजन के डीसीपी भीमा शंकर गुलेद ने कहा कि इमारत शिवाजीनगर बस टर्मिनल के करीब है और प्रारंभिक जांच से पता चला है कि टैंक को बिना किसी प्रारंभिक जांच के रखा गया था। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों को सजा दी जायेगी।

महाराष्ट्र : नागपुर में तीन मंजिला इमारत ढही, कोई हताहत नहीं

नागपुर (आरएनएस)। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक तीन मंजिला इमारत कथित तौर पर नाले में गिर गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारी के मुताबिक यह इमारत महाराष्ट्र के नागपुर शहर के हबीब नगर, टेका में स्थित है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण नाले में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था, जिससे इमारत की नींव कमजोर हो गई और वह नाले में गिर गई। यह इमारत शकील अंसारी की है। इस घटना में अंसारी परिवार के आभूषण और अन्य सामान नाले में बह गए। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद, नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के अग्निशमन और आपातकालीन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।

रांची में सीपीएम लीडर सुभाष मुंडा की हत्या में मास्टरमाइंड सहित सहित चार हिरासत में

रांची (आरएनएस)। रांची के चर्चित सीपीएम लीडर सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा है। इनमें हत्या की साजिश रचने वाला भी शामिल है। उसका नाम छोटू खलखो बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उनकी हत्या की पीछे जमीन डील से जुड़ा विवाद है। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस आधिकारिक तौर पर मामले का खुलासा करेगी। सुभाष मुंडा की हत्या बीते 26 जुलाई को रांची के दलादिली स्थित उनके दफ्तर में घुसकर कर दी गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गये थे। इसके विरोध में सैकड़ों लोग सडक़ों पर उतर आए थे। आदिवासी संगठनों ने एक दिन का रांची बंद भी रखा था। इस मामले में एसएसपी ने नगड़ी थानेदार को सस्पेंड कर दिया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

यूजीसी ने दिल्ली के आठ सहित 20 विश्वविद्यालयों को किया फर्जी घोषित

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिल्ली के आठ सहित बीस विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया। पिछले साल यूजीसी ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया था। यूजीसी ने कहा कि ये संस्थान छात्रों को कोई भी डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं और छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रति सचेत भी किया है। इसने माता-पिता और छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले विश्वविद्यालयों की प्रामाणिकता की जांच करने की दृढ़ता से सलाह दी।

यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, यूजीसी को हाल ही में पता चला है कि कुछ संस्थान यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करके डिग्री प्रदान कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन विश्वविद्यालयों की डिग्री को आगे की शिक्षा या रोजगार उद्देश्यों के लिए मान्यता या स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों के पास कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

यूजीसी द्वारा जारी सूची के अनुसार, फर्जी विश्वविद्यालयों हैं : अखिल भारतीय सार्वजनिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईपीएचएस) राज्य सरकार विश्वविद्यालय, कार्यालय संख्या 608-609, पहली मंजिल, संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग, बीडीओ के पास कार्यालय, अलीपुर; कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज; संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय; व्यावसायिक विश्वविद्यालय; एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाला टॉवर, 25 राजेंद्र प्लेस; भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान; स्व-रोजग़ार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, रोजग़ार सेवासदन, 672, संजय एन्क्लेव, सामने। जीटीके डिपो; आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय), 351-352, चरण-1, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी (सभी दिल्ली)।

उत्तर प्रदेश में हैं : गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज; नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर; नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अचलताल, अलीगढ़, और भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। पश्चिम बंगाल में ये हैं : भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता; और वैकल्पिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान, डायमंड हार्बर रोड, बिल्डटेक इन, ठाकुरपुरकुर।

आंध्र प्रदेश में क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, 32-32-2003, 7वीं लेन, काकुमनुवरिथोटो, गुंटूर और क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिट नंबर 301, ग्रेस विला अपार्टमेंट, 7/5, श्रीनगर, गुंटूर; बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एच.नं. 49-35-26, एन.जी.ओ. कॉलोनी, विशाखापत्तनम को फर्जी घोषित किया गया है। कर्नाटक में बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम भी नकली है, जैसा कि केरल में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम है। यूजीसी ने कहा कि नागपुर में राजा अरबी विश्वविद्यालय और पुडुचेरी में श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, थिलासपेट, वज़ुथावूर रोड भी नकली हैं।

बिलासपुर-नागपुर सेक्शन में 4-5 को होगा इंटरलॉकिंग का काम,कई ट्रेनें रद्द

रायपुर/बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ट्रेन कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है. बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है।

इससे इस रूट से आना जाना करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है. क्योंकि रेलवे बिलासपुर–नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन में इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग का कार्य करेगी और इसके लिए रेल लाइन को 18 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा.

रेलवे प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अधोसंरचना विकास के लिए हावड़ा-मुंबई मैन लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर–नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन का काम चल रहा है. ये काम अपने अंतिम चरण में हैं. अब यहां इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा. इसलिए चार अगस्त रात नौ बजे से पांच अगस्त को दोपहर तीन बजे तक यानी 18 घंटे तक रेल लाइन ब्लॉक किया जाएगा. इस कारण से सात पैसेंजर ट्रेन कैंसिल कर दी गई है।

रद्द होने वाली गाडियां

- 4 अगस्त, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08707 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
- 4 अगस्त, 2023 को दुर्ग से चलने वाली 08708 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी .
- 4 अगस्त, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
- 5 अगस्त, 2023 को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08710 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
- 4 अगस्त, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08729 रायपुर -डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी .
- 5 अगस्त, 2023 को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08730 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी .
- 4 अगस्त, 2023 को अंतागढ़ से चलने वाली 08815/08816 अंतागढ़-रायपुर-अंतागढ़ डेमू स्पेशल रायपुर और दुर्ग के बीच रद्द रहेगी।

तीन दिनों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीसरी फ्लाइट में आई खराबी

45 मिनट बाद वापस लौट आया विमान

कोच्चि (आरएनएस)। तीन दिनों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और उड़ान में खराबी आने की सूचना मिली है। 170 यात्रियों के साथ विमान ने केरल के कोच्चि हवाई अड्डे से शारजाह के लिए उड़ान भरी, लेकिन 45 मिनट बाद वापस लौट आया। फ्लाइट बुधवार रात करीब 10.30 बजे कोच्चि एयरपोर्ट से रवाना हुई और तुरंत बाद लौट आई। 170 यात्रियों को शारजाह जाने वाली अन्य उड़ानों में बिठाया गया।

इसके पहले सोमवार को दोपहर से ठीक पहले, बहरीन जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से अपनी उड़ान रद्द कर दी। उसी दिन, एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और उड़ान जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से रवाना हुई और शारजाह के लिए जा रही थी, तकनीकी खराबी के कारण तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरी।

तीन दिनों के अंतराल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीन उड़ानों में तकनीकी खराबी आ गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस केरल के तीन हवाई अड्डों तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड से मध्य पूर्व के विभिन्न देशों के लिए उड़ान भरती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनाया फैसला : जारी रहेगा सर्वेक्षण

प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए यह जारी रहेगा। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया।

अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करें, लेकिन बिना खुदाई किए। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है। कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है।

गौरतलब है कि वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई की।

कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने असमायिक अदालती आदेश के जरिये ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस का दंश देश ने झेला है। सिविल वाद में पोषणीयता का बिंदु तय किये बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खोदाई का फैसला घातक हो सकता है।

हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानवापी की मूल संरचना को खरोंच तक नहीं आयेगी। जबकि, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी का कहना था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वो ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते है।

ऑनलाइन गेम की आड़ में करते थे ब्रेनवॉश, गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दाखिल किया 1000 पन्नों का आरोप पत्र

गाजियाबाद (आरएनएस)। ऑनलाइन गेम के जरिए गाजियाबाद में हुए धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है — एक मस्जिद का मौलवी और दूसरा महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ शाहनवाज खान उर्फ बद्दो। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अपना आरोप पत्र दाखिल किया है जो 1000 पन्नों का है।

पुलिस ने इस आरोप पत्र के जरिए बताया है कि किस तरीके से अलग-अलग स्टेप में बच्चों को ब्रेनवाश कर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण मामले में खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो व अब्दुल रहमान को आरोपी बनाया है।

ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने के आरोपी बद्दो और मौलवी अब्दुल रहमान के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने ऑनलाइन दोस्ती से लेकर ब्रेनवॉश और धर्मांतरण में इस्तेमाल हुई इंस्टाग्राम, वॉट्सएप और अन्य साइट्स की चैट को भी शामिल किया है।

इस मामले में एक आरोपी रहमान पर एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस ने कोर्ट को सिलसिलेवार बताया है कि मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक ये सिंडिकेट कैसे चल रहा था।

बता दें कि 30 मई को गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले एक जैन परिवार ने पुलिस को शिकायत की कि उनका नाबालिग बेटा घर से पांच बार जिम के नाम पर निकलता है और मस्जिद में नमाज पढऩे जाता है। गैजेट्स की जांच से पता चला है कि वह मुंबई के एक व्यक्ति के संपर्क में था। वह जाकिर नाइक से भी प्रभावित है।

पुलिस ने इस मामले में मुंबई के खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो और गाजियाबाद की मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान पर एफआईआर दर्ज की। इस केस में 4 जून को अब्दुल रहमान और 11 जून को बद्दो पकड़ा गया। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि गाजियाबाद, फरीदाबाद और चंडीगढ़ के चार नाबालिग बच्चों को वे धर्मांतरण करवा चुके हैं।

हैवानियत : 14 साल की लड़की को कोयले की भट्टी में डालकर जलाया, गैंगरेप की आशंका

तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 14 वर्षीय एक लडक़ी को कोयले की भट्टी में जला दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लडक़ी को जलाने से पहले सामूहिक दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। घटना के सिलसिले में राजस्थान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मामला जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात का है। सूचना मिलने पर चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता के बड़े भाई के मुताबिक लडक़ी बुधवार सुबह 8 बजे बकरियों को लेकर घर से निकली थी। बकरियां दोपहर 3 बजे के आसपास लौट आईं, लेकिन उसकी बहन नहीं लौटी।

गांव में सभी रिश्तेदारों के घरों और खेतों में काफी खोजबीन के बाद भी परिवार को वह नहीं मिली। रात करीब 8 बजे ग्रामीणों ने गांव के बाहर कैंप में कोयला बनाने की भट्ठी देखी, तो तलाश फिर शुरू हुई। चूंकि बारिश के दौरान भट्टी नहीं जलती, इसलिए उन्हें संदेह हुआ और वे उसके पास गये, तो उन्हें उसके जूते मिले।

करीब से जांच करने पर उन्हें आग में लडक़ी के पहने हुए चांदी के कंगन और हड्डी के टुकड़े मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने संदेह होने पर तीन लोगों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की। जब तीनों ने लडक़ी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे जलाने की बात कबूल की, तो पुलिस को सूचना दी गई। देर रात चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। रात में ही फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। गुरुवार सुबह फिर अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

लोकसभा में पेश हुआ डाटा प्रोटेक्शन बिल, उल्लंघन पर लगेगा करोड़ों रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश कर दिया गया है। लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से इस बिल को पेश किया गया है। विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित कानून की शुरुआत पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की।

हालांकि इस बिल को पहले ही केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी।

लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 3 अगस्त को को नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश किया। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और उनकी मनमानी भी कम होगी। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के अनुसार, यूजर्स के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करने वाली या उनकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली संस्थाओं को 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाई पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये और न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया बिल डाटा को संभालने और संसाधित करने वाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तियों के अधिकारों को भी निर्धारित करता है।

नए बिल के अनुसार, बनाए गए नियम में इस अधिनियम या इसके प्रावधानों के तहत अच्छे विश्वास में किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए केंद्र सरकार, बोर्ड, उसके अध्यक्ष और उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। विधेयक के तहत, केंद्र सरकार को बोर्ड से लिखित संदर्भ प्राप्त करने पर आम जनता के हित में कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार भी मिलता है।

वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि संसद द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, इनोवेशन इकोनॉमी को विस्तार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और महामारी और भूकंप आदि जैसी आपात स्थितियों में सरकार की वैध पहुंच की अनुमति देगा। लोकसभा में पेश किए गए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। इसलिए हम इस तरह के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।